दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय देने की तिथि : 28.08.2024

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 169/2024 एवं सि.वि. सं. 49282-83/2024

विंकल चड्ढा .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अंकित जैन, श्री रजत मनचंदा, सुश्री मेघा गौड़, श्री मयंक नौटियाल, सुश्री अदिति सिंघल, श्री दीपांशु भारती और सुश्री सोनिया नरूला, अधिवक्तागण

बनाम

जैस्पर कॉलिन रिसर्च और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री श्रद्धा देशमुख और श्री मोहित सेठ, प्र-1 के लिए अधिवक्तागण।
सुश्री दीपिका पोखरिया और श्री प्रियांश कोहली, प्र-2 के लिए अधिवक्तागण।

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 170/2024 एवं सि.वि. सं. 49285-86/2024

विंकल चड्ढा .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अंकित जैन, श्री रजत मनचंदा, सुश्री मेघा गौड़, श्री मयंक नौटियाल, सुश्री अदिति सिंघल, श्री दीपांशु

भारती और सुश्री सोनिया नरूला, अधिवक्तागण

बनाम

जैस्पर कॉलिन रिसर्च .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री श्रद्धा देशमुख और श्री मोहित सेठ, प्र-1 के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक (प्रत्यक्ष) सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

न्या. राजीव शकधर (मौखिक):

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 169/2024 में सि.वि. सं. 49283/2024

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 170/2024 में सि.वि. सं. 49286/2024

1. अनुमति दी गई, न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 169/2024 एवं सि.वि. सं.49282/2024

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 170/2024 एवं सि.वि. सं.49285/2024

2. ये अपीलें विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक-03), पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 13.08.2024 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं।

3. विद्वान जिला न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 [इसके बाद "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित] की धारा 9 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका का

निपटान कर दिया है, साथ ही नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 [इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित] की धारा 151 के सहपठित आदेश XXXIX नियम 2क के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन का भी निपटान कर दिया है।

3.1 इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सीपीसी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत आवेदन, जिसमें 1996 अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में पारित दिनांक 11.06.2024 के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई थी, का भी आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से निपटान किया गया।

4. हमने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है।

5. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि मामले में उत्पन्न विवादों को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाए तथा न्याय निर्णय में तेजी लाने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

6. तदनुसार, अपीलों का निपटान निम्नलिखित सहमत निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री राजीव सहाय एंडलॉ को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ii) विद्वान मध्यस्थ को मामले में स्वयं की सहायता के लिए एक स्वतंत्र प्रक्षेत्र विशेषज्ञ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाएगी।

(iii) प्रत्यर्थी संख्या 1, अर्थात्, मुकदमा लड़ने वाले प्रत्यर्थी अपीलार्थी, पिचबुक और स्वयं से संबंधित डेटा को संरक्षित रखेगा, ताकि पक्षकारगण के बीच उत्पन्न होने वाले परस्पर विवादों का न्यायनिर्णयन किया जा सके।

(iv) प्रत्यर्थी संख्या 1 को केस फाइल के पृष्ठ 257 पर उल्लिखित ई-मेल की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। इस संदर्भ में, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि हमें अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित जैन द्वारा सूचित किया गया है, जिस वर्ष पहले आठ (08) ईमेल जारी किए गए थे, वह वर्ष 2023, जो कि सही वर्ष है जिसमें उक्त ई-मेल जारी किए गए थे, के बजाय अनजाने में 2024 के रूप में दर्ज हो गया है । अधिक स्पष्टता के लिए, केस फ़ाइल के पृष्ठ 257 पर संदर्भित नौ (09) ई-मेल की तिथियां नीचे दी गई हैं:

ई-मेल/डिजिटल फ़ाइल की तिथि	*प्रेषक*	*प्राप्तकर्ता*	*इनको भी प्रेषित (सीसी)*	*ईमेल की विषयवस्तु*	*प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दोषपूर्ण त्यागपत्र की स्वीकृति और सशर्त कार्यमुक्ति के विवाद में नीचे दिए गए ईमेल की प्रासंगिकता*
02-03-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

06-03-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16-03-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17-03-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
06-04-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
20-03-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
22-03-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
28-06-2023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
01-02-2024	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx			

(v) अपीलार्थी 1996 अधिनियम की धारा 17 के तहत उचित आवेदन दायर करके अंतरिम राहत के लिए विद्वान मध्यस्थ के पास जाने का हकदार होगा। यह निर्देश इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि अपीलार्थी का दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उचित कार्यमुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण वह रोजगार प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक बार ऐसा आवेदन प्रस्तुत हो जाने पर, कहने की आवश्यकता नहीं कि विद्वान मध्यस्थ प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस संबंध में प्रतिक्रिया दाखिल करने का अवसर देगा।

(vi) तत्पश्चात विद्वान मध्यस्थ आवेदन के संबंध में अपना निर्णय सुनाएगा।

(vii) विद्वान मध्यस्थ आवेदन को उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन (03) सप्ताह के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।

(viii) विद्वान मध्यस्थ को 1996 अधिनियम से संलग्न चौथी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ix) विद्वान मध्यस्थ, आक्षेपित निर्णय और आदेश में निहित टिप्पणियों से अप्रभावित होकर पक्षकारगण के बीच उत्पन्न विवादों पर निर्णय देगा।

(x) मामले के त्वरित न्याय निर्णयन की सुविधा के लिए, पक्षों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को 30.08.2024 को शाम 6:00 बजे विद्वान मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

7. अपीलों का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। परिणामस्वरूप, लंबित आवेदन निपटाए जाते हैं।

8. पक्षकारगण आदेश की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति के आधार पर कार्य करेंगे।

न्या. राजीव शकधर

न्या. अमित बंसल

28 अगस्त, 2024
एजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*